अति महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

प्रेषक,

संख्या : 3636/ नौ–9–07– 97 ज/07

प्रशान्त कुमार मिश्र
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9

लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2007

विषय : मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना का क्रियान्वयन एवं दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय क्षेत्र में रहने वाले सर्वसमाज के गरीबों के उत्थान हेतु सम्यक विचारोपरान्त चयनित शहरी क्षेत्रों में समस्त अवस्थापना सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों आदि से नगरों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध ढंग से संतृप्त करने के उद्देश्य से ''मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना'' प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजना का उद्देश्य उसकी रूपरेखा, योजना के अन्तर्गत क्षेत्रों के चयन का मापदण्ड, योजना की संरचना, संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों, कार्य योजनाएं तथा योजना के अनुश्रवण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश /विवरण निम्नवत् हैं :–

2. योजना का उद्देश्य

शहरों के सुनियोजित एवं समग्र विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है। एक समयबद्ध तरीके से नगरों में अवस्थापना सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों से नगरों को संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जिनमें मुख्यतः आवास, पेयजल, जल निस्तारण, सीवर, स्वास्थ्य, रोजगार, विद्युतीकरण, सड़क, सफाई व्यवस्था इत्यादि शामिल है। इन सुविधाओं को चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए ''मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना'' प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की बस्तियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी जिससे कि इस क्षेत्र के लोग भी नगर के विकसित क्षेत्र की भॉति विकास की मुख्य धारा से जुड़ जायें।

3. योजना की रूपरेखा

i. योजना के अन्तर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि अगले 5 वर्षो में चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से नगरीय क्षेत्रों का समग्र विकास किया जाए। नगरीय क्षेत्रों में इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न चरणों में विकास किया जायेगा। नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद के क्षेत्रों में वार्ड को विकास की इकाई माना जायेगा। इन वार्डो को सभी भौतिक अवस्थापना सुविधाओं एवं सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों से संतृप्त किया जायेगा। नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्र में स्थित 6079 वार्ड चूँकि एक वर्ष में संतृप्त नहीं किए जा सकते, अतः इन्हें संतृप्त करने का एक चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम बनाया जायेगा।

ii. नगर पंचायतें चूँकि एक छोटी इकाई होती है, अतः सम्पूर्ण नगर पंचायत को एक इकाई माना जायेगा।

iii. 12 नगर निगम, 194 नगर पालिका परिषदों के वार्डो को एवं 421 नगर पंचायतों का एक चरणबद्ध, समयबद्ध तरीके से विभिन्न नागरिक सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों एवं रोजगार से सम्बन्धित चिन्हांकित कार्यक्रमां से संतृप्तीकरण किया जायेगा।

शहरों में उपर्युक्त योजना के संचालन के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्व से सृजित सम्पत्तियों की समुचित मरम्मत एवं अनुरक्षण हो। ऐसी सभी सामुदायिक सम्पत्तियों की मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अपने–अपने बजट में वित्तीय व्यवस्था करेंगे।

4. चयन का मापदण्ड

योजना के अन्तर्गत क्षेत्रों का चयन निम्न 3 प्रकार से किया जायेगा :–

नगर निगम

प्रथम चरण में – 4 वार्ड प्रति नगर निगम तथा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चरणों में 8 वार्ड प्रति नगर निगम का चयन किया जाएगा।

प्रथम चरण में नगर निगम के सभी 12 नगरों से 4–4 वार्डो का चयन किया जायेगा। सर्वप्रथम नगर निगम के वार्डो की वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर वार्डवार सूची बनायी जाएगी। तत्पश्चात् 4 वार्ड चयनित किए जाएंगे जिनमें से एक ऐसा वार्ड चयनित किया जायेगा जिसमें सवर्ण समाज की जनसंख्या सर्वाधिक हो तथा एक ऐसे वार्ड का चयन किया जायेगा जिसमें सवर्ण समाज की जनसंख्या सबसे कम हो। एक ऐसे वार्ड का चयन किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या सर्वाधिक हो और एक ऐसे वार्ड का चयन किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या सबसे कम हो।

द्वितीय चरण में 8 वार्ड चयनित किये जाएंगे जिनमें 2 ऐसे वार्ड चयनित किये जायेंगे जिसमें सवर्ण समाज की जनसंख्या सर्वाधिक हो तथा 2 ऐसे वार्ड का चयन किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या कम हो। 2 ऐसे वार्ड का चयन किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या सार्वाधिक हो तथा 2 ऐसे वार्ड का चयन किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या सबसे कम हो। इस प्रकार प्रति चरण चयनित किए जाने वाले वार्डो की प्रदेश में संख्या निम्न होगी :–

नगर निगम क्षेत्र में वार्डो के चयन का विवरण

चरण एवं अवधि	नगर निगम	वार्डो की संख्या	कुल वार्डो की संख्या
प्रथम चरण (जनवरी, 2008 से मार्च, 2008)	12	4	48
द्वितीय चरण (अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009)	12	8	96
तृतीय चरण (अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010)	12	8	96
चतुर्थ चरण (अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011)	12	8	96
पंचम चरण (अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012)	12	8	96

नगर पालिका परिषद :–

नगर पालिका परिषद शहरों में प्रथम चरण में जिला मुख्यालयों की सभी नगर पालिका परिषदों का चयन किया जाएगा। वर्तमान में 55 नगरपालिका परिषदें जिसमें जिला मुख्यालय हैं। प्रथम चरण में 04 वार्ड प्रति नगर पालिका परिषद चयनित होंगे। इसके उपरान्त द्वितीय एवं तृतीय चरणों में 08 वार्ड प्रति नगर पालिका परिषद चयनित किये जाएंगे। इन 55 नगर पालिका परिषदों के सभी वार्डो को तृतीय चरण तक संतृप्त किया जाएगा।

वार्डो के चयन हेतु वर्ष 2001 की जनसंख्या के हिसाब से वार्डवार सूची बनायी जायेगी तथा वार्डो का चयन इस प्रकार से किया जायेगा कि प्रथम चरण में 4 वार्ड चयनित किए जाएंगे जिनमें से एक ऐसा वार्ड चयनित किया जायेगा जिसमें सवर्ण समाज की जनसंख्या सर्वाधिक हो तथा एक ऐसे वार्ड का चयन किया जायेगा जिसमें सर्व समाज की जनसंख्या सबसे कम हो। एक ऐसे वार्ड का चयन किया जायेगा जिसमें

अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या सर्वाधिक हो और एक ऐसे वार्ड का चयन किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या सबसे कम हो।

इसके उपरान्त जनपद मुख्यालय के चयनित नगरपालिका परिषद के अलावा जनपद में अवशेष नगरपालिका परिषदों में से जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी नगरपालिका परिषद का चयन एक प्रति जनपद किया जाएगा। इन चयनित 70 नगरपालिकाओं में प्रत्येक नगरपालिका से 08 वार्डो का चयन किया जाएगा। यह चयन चतुर्थ चरण से प्रारम्भ होगा।

द्वितीय चरण से प्रत्येक नगर पालिका परिषद में चयनित किए जाने वाले 8 वार्डो का चयन इस प्रकार किया जाएगा जिनमें 2 ऐसे वार्ड चयनित किये जायेंगे जिसमें सवर्ण समाज की जनसंख्या सर्वाधिक हो तथा 2 ऐसे वार्ड का चयन किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसवंख्यकों की जनसंख्या कम हो। 2 ऐसे वार्ड का चयन किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या सबसे कम हो।

इस प्रकार प्रदेश भर में चयनित वार्डो का विवरण निम्न हेगा :–

नगर पालिका परिषद क्षेत्रों में वार्डो के चयन का विवरण

चरण एवं अवधि	नगर पालिका परिषद	वार्डो की संख्या	कुल वार्डो की संख्या
प्रथम चरण (जनवरी, 2008 से मार्च, 2008)	55	4	220
द्वितीय चरण (अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009)	55	8	440
तृतीय चरण (अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010)	55	8	440
चतुर्थ चरण (अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011)	70(नए)	8	560
पंचम चरण (अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012)	70	8	560

नगर पंचायत –

प्रत्येक जनपद से एक नगर पंचायत का प्रतिवर्ष चयन किया जायेगा। 3 नगर पंचायतें जिला मुख्यालय में स्थित हैं, इनका चयन प्रथम चरण में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य 67 जनपदों से प्रथम चरण में एक–एक नगर पंचायत का चयन किया जायेगा।

नगर पंचायत का जनपद से चयन करते समय विधान सभा क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा जनपद में स्थित विधान सभा क्षेत्रों में यदि किसी विधान सभा क्षेत्र में एक नगर पंचायत है तो उसका चयन प्रथम चरण में किया जाएगा। यदि किसी विधान सभा क्षेत्र में एक से अधिक नगर पंचायत हैं तो सबसे अधिक आबादी वाले नगर पनंचायत का चयन किया जाएगा। जनपद में स्थित समस्त विधानासभाओं से इस प्रकार चयनित नगर पंचायतों को जनसंख्या के क्रम में अधिक आबादी से कम आबादी के क्रम में सूची बनायी जाएगी जिसमें पहले चरण में अधिक आबादी वाली एक नगर पंचायत प्रति जनपद का चयन किया जाएगा। इस प्रकार से प्रथम चरण में 67 नगर पंचायतें एवं 03 जिला मुख्यालय के नगर पंचायत का चयन किया जाएगा। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चरण में उपर्युक्त आधार पर प्रति जनपद एक कुल 70–70 नगर पंचायतों का चयन प्रति चरण में किया जाएगा। यदि किसी जनपद में सभी नगर पंचायतें चयनित हो जाती हैं तो जिन जनपद में चयन हेतु अवशेष नगर पंचायतें रह जाऐंगी उन्हें चयनित कर लिया जाएगा।

इस प्रकार प्रदेश भर के चयनित नगर पंचायतों का विवरण निम्न होगा :–

नगर पंचायत क्षेत्र

चरण एवं अवधि	
प्रथम चरण (जनवरी, 2008 से मार्च, 2008)	70 (3 जिला मुख्यालय) 67 शेष जनपदों में प्रति जनपद
द्वितीय चरण (अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009)	70
तृतीय चरण (अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010)	70
चतुर्थ चरण (अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011)	70
पंचम चरण (अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012)	70

5. योजना के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले कार्यक्रम

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो से सम्बन्धित सभी विभागों द्वारा अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कराए जाएंगे जिनका विवरण निम्नवत है :–

क्र. सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**प्रशासनिक विभाग**
1	2	3
1	चयनित शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था	नगर विकास विभाग
2	चयनित शहरी क्षेत्रों में सीवर की व्यवस्था	नगर विकास विभाग
3	चयनित शहरी क्षेत्रों में जल निकाली व्यवस्था	नगर विकास विभाग
4	चयनित शहरी क्षेत्रों में स्वच्छीकरण हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट (कूड़ा प्रबन्धन की व्यवस्था)	नगर विकास विभाग
5	चयनित शहरी क्षेत्रों में सी.सी. सड़कों का निर्माण	नगर विकास विभाग/ लोक निर्माण विभाग
6	विद्युतीकरण/स्ट्रीट लाइट	ऊर्जा विभाग एवं नगर निगम/पालिका
7	चयनित शहरी क्षेत्रों में मैला ढोने की कुव्यवस्था को जड़ से समाप्त करना।	सूडा/डूडा
8	विभिन्न प्रकार की पेंशन – 1– वृद्धावस्था पेंशन 2– पारिवारिक लाभ योजना 3– पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलओं को अनुदान 4– विकलांग पेंशन	 समाज कल्याण विभाग समाज कल्याण विभाग महिला कल्याण विभाग विकलांग कल्याण विभाग
9	मातृ एवं शिशु कल्याण स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना तथा स्वास्थ्य योजना i- स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ii- टीकाकरण (पोलियो इत्यादि) iii- मातृ एवं शिशु कल्याण iv- जन्म–मृत्यु पंजीकरण v- अंधता निवारण कार्यक्रम vi- क्षय एवं कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम	स्वास्थ्य विभाग
10	प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना	बेसिक शिक्षा विभाग

11	छात्रवृत्ति योजना :– i- अनुसूचित जाति एवं जनजाति ii- पिछड़ी जाति iii- अल्पसंख्यक iv- विकलांग v- सामान्य वर्ग के गरीबों को छात्रवृत्ति	 समाज कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण अल्प संख्यक कल्याण विकलांग कल्याण विभाग समाज कल्याण विभाग
12	पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना	खाद्य एवं रसद विभाग
13	गरीबों के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना	सूडा/डूडा एवं आवास विभाग
14	रोजगार सृजन – i- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना ii- प्रधानमंत्री रोजगार योजना iii- सघन मिनी डेयरी योजना (जहां लागू हो) iv- खादीग्रामोद्योग v- अल्पसंख्यक रोजगार कार्यक्रम vi- पिछड़ा वर्ग रोजगार कार्यक्रम vii- अनुसूचित जाति एवं जन जाति रोजगार कार्यक्रम viii- स्वच्छकार विमुक्ति योजना	 सूडा/डूडा लघु उद्योग दुग्ध विकास खादीग्रामोद्योग पिछड़ा वर्ग कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम समाज कल्याण विभाग
15	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	सूडा/डूडा/नगर विकास/ आवास विभाग
16	पार्को का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार	आवास/नगर विकास

उपरोक्त चिन्हित 16 प्रमुख कार्य{मों से चयनित शहरी क्षेत्रों को संतृप्त किया जाएगा।

6. नागरिक सुविधाओं के बारे में कार्य योजना –

नगर निगम/नगर पालिकाओं द्वारा चयनित वार्डो एवं जनपद में चयनित नगर पंचायत के लिए सभी 16 कार्यक्रमों से संतृप्तीकरण हेतु सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्य योजना बनायी जायेगी तथा इन कार्य योजनाओं का संकलन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में डूडा द्वारा किया जायेगा। संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य योजना बनाने के लिए सम्बन्धित योजनाओं के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी तथा इन विशेषज्ञों को यह निर्देश दिया जायेगा कि वह राष्ट्रीय मानक के अनुसार उक्त चयनित शहरी क्षेत्रों का विस्तृत मानचित्रीकरण कर संबंधित सुविधा को अगले 25 वर्षो की आवश्यकता के अनुसार नियोजित कर कार्य योजना बनायेंगे। उक्त कार्ययोजना के आधार पर स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं से अथवा एजेन्सीज को चयनित कर शहरी क्षेत्रों में सुधार का कार्य किया जाएगा। प्रथम चरण के चयनित शहरी क्षेत्रों को चयनित कर अगले दो माह में कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा जाएगा। यदि कार्य किसी निर्माणदायी संस्था को आवंटित होता है तो निर्माणदायी संस्था/स्थानीय निकाय के साथ अनुबन्ध करते समय यह शर्त रखी जाएगी, कि अगले तीन वर्ष तक उक्त सुविधाओं का रख–रखाव वह करें।

7. कार्य योजना का वित्त पोषण

शासन के विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से धनराशियों को मिलाकर कार्य योजना बनायी जायेगी। योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा यथा–सम्भव इसके लिए प्रयास भी किए जाएंगे।

8. चयनित क्षेत्र के संतृप्तीकरण के मानक

चयनित शहरी क्षेत्रों को तभी संतृप्त माना जाएगा, जब कि निम्नलिखित कार्यक्रमों में उनके मानक पूर्ण हो जाएं।

(i) पेयजल

प्रत्येक चयनित शहरी क्षेत्र में स्वच्छ पाइप पेयजल की व्यवस्था करायी जाएगी। पेयजल की योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्धता के राष्ट्रीय मानक के अनुसार (135 लीटर) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन छोटे शहरों में तथा 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बड़े शहरों में ही अगले सम्भावित 25 वर्षो की आबादी की आवश्यकता को देखते हुए पेयजल व्यवस्था का नियोजन किया जाय। वार्ड

को शहर की मुख्य पेयजल व्यवस्था से जोड़ा जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि चयनित वार्डो में मानक के अनुसार पेयजल उपलब्ध हो। प्रत्येक चयनित नगर पंचायत को पाइप पेयजल की व्यवस्था से संतृप्त किया जायेगा। चूँकि नगर पंचायतों में पेयजल की योजना एक वर्ष में पूर्ण नहीं हो सकती इसलिए इस हेतु अधिकतम 3 वर्ष का समय दिया जायेगा।

कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग नगर विकास होगा तथा कार्यदायी संस्था जल निगम होगा। कार्यक्रम का वित्त पोषण जिला योजना त्वरित नगरीय जल विकास कार्यक्रम जे.एन.एन.यू.आर.एम./यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. से कराया जाएगा।

(ii) **सीवर**

प्रत्येक चयनित शहरी क्षेत्र में ट्रंक सीवर का निर्माण कर सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक शहर का स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक घर को सीवर का कनेक्शन दिया जाए। यथासम्भव वार्ड को शहर के मुख्य ट्रंक सीवर से जोड़ा जाएगा। यदि उक्त क्षेत्र को ट्रंक सीवर में जोड़ना सम्भव नहीं है तो स्थानीय वार्ड स्तर पर डाइजेस्टर लगाकर सीवर व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग नगर विकास होगा तथा कार्यदायी संस्था जल निगम होगी जो जे.एन.एन.यू.आर.एम./यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनाओं से इस कार्यक्रम का वित्त पोषण करायेगी तथा सूडा में उपलब्ध लो कास्ट सेनीटेशन कार्यक्रम से भी धनराशियों को इसमें मिलाया जायेगा। नगर पंचायतों में चूँकि यह योजना एक वर्ष में पूर्ण नहीं हो सकती इसलिए इस हेतु अधिकतम 3 वर्ष का समय दिया जायेगा।

(iii) **जल निकासी**

प्रत्येक चयनित शहरी क्षेत्र में ड्रेनेज व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि जल भराव की स्थिति कहीं भी पैदा न हो। नगर पंचायतों में चूँकि यह योजना एक वर्ष में पूर्ण नहीं हो सकती इसलिए इस हेतु अधिकतम 3 वर्ष का समय दिया जायेगा।

(iv) **चयनित शहरी क्षेत्रों में स्वच्छीकरण हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमन्ट**

प्रत्येक चयनित शहरी क्षेत्र में स्वच्छीकरण सुनिश्चित कराया जासगा। इस हेतु प्रत्येक घर से कूड़ा एकत्रित करने, विभिन्न प्रकार के कूड़े के ढेर शहरी क्षेत्र में दिखायी न दें। कूड़ा उठाने की व्यवस्था प्रत्येक गली/मोहल्ला में की जायेगी तब चयनित क्षेत्र संतृप्त माना जायेगा।

योजना को लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निकाय की होगी तथा प्रशासनिक विभाग नगर विकास विभाग होगा जो जे.एन.एन.यू.आर.एम./यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनाओं से इस कार्यक्रम का वित्त पोषण करायेगी।

उत्तर प्रदेश जल निगम का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक चयनित वार्ड की पेयजल, सीवर, ड्रेनेज सुविधाओं एवं कूड़ा प्रबन्धन की 25 वर्षो की मास्टर प्लान बनाए तथा स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में इन सुविधाओं का विकास मास्टर प्लान के अनुसार ही हो।

(v) **चयनित शहरी क्षेत्र की प्रत्येक गली एवं बाजार में सड़क का निर्माण –**

प्रत्येक चयनित शहरी क्षेत्र में ऐसे सभी गलियां/बाजार, जो कि लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर स्थित है वहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा तथा अन्य सभी अन्दरूनी गलियों में सीमेन्ट कंकरीट/तारकोल/इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण स्थानीय निकायों द्वारा कराया जाएगा। इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग नगर विकास विभाग होगा तथा लोक निर्माण विभाग से समन्वय भी रखेगा। चयनित शहरी क्षेत्र में सम्पूर्ण सड़कों का निर्माण होने पर ही संतृप्त माना जाएगा।

योजना का क्रियान्वय जिला योजना राज्य सेक्टर तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम./यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनाओं से इस कार्यक्रम का वित्त पोषण किया जाएगा।

(vi) **विद्युतीकरण/स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था –**

चयनित शहरी क्षेत्र की सभी गलियों में विद्युतीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा कराया जाएगा तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था स्थानीय नगर निकाय द्वारा करायी जारएगी। इस विभाग का कार्यदायी विभाग ऊर्जा विभाग होगा तथा इसका वित्त पोषण जिला योजना तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से कराया जायेगा।

(vii) **गरीबों के लिए आवास व बस्तियों का विकास –**

प्रत्येक चयनित शहरी क्षेत्र में कच्चे घरों में रहने वाले, झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले तथा सरकारी जमीन पर एवं नदी किनारे व नालों पर अतिक्रमण कर रहने वाले नागरिकों को स्वच्छ माहौल देने के लिए व सभी गरीबों के सिर पर छत प्रदान करने के लिए आवासों का निर्माण कराया जाएगा। चयनित शहरी क्षेत्र में सभी पात्र गरीबों को आवास उपलब्ध कराने पर ही संतृप्त माना जाएगा। योजना के अन्तर्गत स्थानीय नगर निकाय द्वारा भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी तथा सूडा एवं विकास प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो, द्वारा बी.एस.यू. पी./आई.एच.एस.डी.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना का वित्त पोषण कराया जागा। योजना बनाने से पूर्व पूरे चयनित शहरी क्षेत्र का एक सर्वे किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी गरीब लोग जो आवासहीन हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सूडा/डूडा द्वारा पूर्व से ही जारी पात्रता सम्बन्धी आदेशों के आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इस योजना का कार्यदायी विभाग नगरीय गरीबी उन्मूलन व रोजगार विभाग होगा तथा आवास विभाग से समन्वय कर यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। समस्त चयनित क्षेत्रों को 2 वर्षो में संतृप्त किया जाएगा।

(viii) **रोजगार सृजन –**

ऐसा देखा गया है कि शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा बेरोजगारी का अधिक बुरा प्रभाव है, क्योंकि शहरों में सामाजिक सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम प्रगाढ़ होते हैं। ऐसे में चयनित शहरी क्षेत्रों में शासन की सभी योजनाओं से रोजगार सृजन करने का प्रयास किया जाएगा। चयनित शहरी क्षेत्र में सभी पात्र व्यक्तियों को किसी भी रोजगार की योजनाओं से लाभान्वित कराने पर संतृप्त माना जायेगा। इस हेतु चयनित शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे सभी बेरोजगारों को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा तथा तत्पश्चात् सम्बन्धित विभागों द्वारा यथा– स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की उपयोजना स्वरोजगार, ड्वाकुआ, बचत समूह व रोजगार हेतु प्रशिक्षण तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना सघन मिनी डेयरी योजना, खादी ग्रामोद्योग, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जन जाति रोजगार कार्यक्रम तथा स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत पात्रता व योग्यता के आधार पर लाभन्वित कराया जाएगा। इस कार्यक्रम का नोडल विभाग सूडा होगा तथा विभिन्न विभागों से समन्वय रखेगा।

(ix) **नगरीय क्षेत्र में शरीर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना –**

शहरों में शरीर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। मैला ढोने की इस प्रथा का प्रचलन में होने का मुख्य कारण शुष्क शौचालय है चयनित शहरी वोर्ड में यदि शुष्क शौचालय हैं, उन्हें लक्ष्य बनाकर एक वर्ष में जल प्रवाहित में बदला जाएगा। इस हेतु कार्य योजना बनाते समय ही लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा। चयनित वार्डो में जब सीवर की व्यवस्था की जाएगी तो शुष्क शौचालय वाले आवासों के लाभार्थियों को लॉ कॉस्ट सैनिटेशन योजना के अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराकर जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन कराया जायेगा। शहरों में शरीर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के क्रम में बेरोजगार हुए स्वच्छकारों को चयनित शहरी क्षेत्रों में पूर्व से किये गये सर्वे के आधार पर रोजगार में लगाया जा चुका है फिर भी यदि बेरोजगार स्वच्छकार हैं तो उन्हें चिन्हित कर स्वच्छकार विमुक्ति योजना अथवा शहरी क्षेत्रों के लिए लागू रोजगार योजनाओं में चयनित करके लाभ दिया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन सूडा एवं उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाएगा।

(x) **वृद्धावस्था पेंशन योजना –**

इस योजना के अन्तर्गत चयनित शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र व्यक्तियों को, जो 60 वर्ष से ऊपर निराश्रित हैं, को पेंशन प्रदान करने की स्थिति में संतृप्त माना जाएगा। इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग समाज कल्याण विभाग होगा।

(xi) **पारिवारिक लाभ योजना –**

इस योजना के अन्तर्गत चयनित शहरी क्षेत्रों के कार्यरत परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उस परिवार को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग समाज कल्याण विभाग होगा।

(xii) **पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को अनुदान –**

इस योजनान्तर्गत चयनित सभी शहरी क्षेत्रों की निराश्रित महिलाओं, जिनके पति की मृत्यु हो गयी है व जिनकी वार्षिक आय रू. 12,000/–से कम है और जिनके बच्चे नाबालिग हैं अथवा बालिग होने के बावजूद भरण–पोषण के लिए असमर्थ हैं, को पेंशन अनुमन्य कर दिये जाने की स्थिति में संतृप्त माना जाएगा। इस कार्यक्रम का कार्यदायी विभाग महिला कल्याण विभाग होगा।

(xiii) **विकलांग पेंशन योजना –**

इस योजनान्तर्गत चयनित शहरी क्षेत्र के विकलांग व्यक्ति को मुख्य चिकित्साधिकारी की अनुशंसा पर विकलांग कल्याण विभाग द्वारा पेंशन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

(xiv) **स्वास्थ्य सुविधाएं –**

इस योजनान्तर्गत चयनित शहरी क्षेत्रों में समुचित स्वास्थ्य संवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। इस सम्बन्ध में मानक के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करवाकर समुचित स्वास्थ्य सेवाएं यथा–टीकाकरण, विशेषकर पोलियो, मातृ एवं शिशु कल्याण, जन्म–मृत्यु पंजीकरण, अंधता निवारण, क्षय रोग एवं कुष्ठ रोग इत्यादि चयनित शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जाएगी ताकि प्रत्येक परिवार को इस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। इसका कार्यदायी विभाग स्वास्थ्य विभाग होगा।

(xv) **प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना –**

इस योजनान्तर्गत चयनित प्रत्येक शहरी क्षेत्र में मानक के अनुसार प्राथमिक पाठशालाओं का निर्माण कराकर संचालित किया जाएगा तथा शत–प्रतिशत नामांकन कराया जायेगा। इसका कार्यदायी विभाग बेसिक शिक्षा विभाग होगा।

(xvi) **छात्रवृत्ति योजना –**

चयनित जनपदों में संचालित विभिन्न विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां समय से उपलब्ध कराई जायेंगी। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, विकलांग कल्याण तथा सामान्य वर्ग के गरीब छात्र/छात्राओं को पारत्रता के आधार पर शत–प्रतिशत लाभान्वित किया जाएगा। इसका कार्यदायी विभाग सम्बन्धित विभाग होगा।

(xvii) **मा. कांशीराम जी सामुदायिक केन्द्र का निमार्ण –**

प्रत्येक चयनित शहरी क्षेत्र निर्धारित मानकों के अनुसार क्षेत्र के नागरिकों के सामाजिक समारोहों हेतु मा. कांशीराम जी सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराया जाएगा। इस केन्द्र में कम से कम 200 व्यक्तियों के कार्यक्रम हेतु बरतन, बिस्तर इत्यादि की भी व्यवसथा की जाएगी, इन केन्दों का निर्माण गरीब बस्तियों में सूडा/डूडा द्वारा तथा अन्य क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण एवं स्थानीय निकाय द्वारा कराया जाएगा।

(xviii) **पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना –**

चयनित शहरी क्षेत्रों मे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लाभार्थियों को बी.पी.एल. कार्ड उपलब्ध कराने के साथ–साथ उनके क्षेत्र में यदि निर्धारित मानक के अनुसार राशन की दुकान नहीं है तो लाइसेन्सी दुकान खुलवायी जाएगी। इसका कार्यदायी विभाग खाद्य एवं रसद विभाग होगा।

(ix) **पार्को का सौन्दीयकरण एवं पर्यावरण सुधार –**

प्रत्येक चयनित शहरी क्षेत्र को हरा–भरा रखने हेतु निर्मित पार्को के रख–रखाव तथा पर्यावरण सुधार हेतु सौन्दर्यीकरण/वृक्षारोपण किया जायेगा। विकास प्राधिकरण वाले नगरों में पार्को के रख–रखाव, सौन्दर्यीकरण एवं वृक्षारोपण की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद की होगी तथा जिन नगरों में प्राधिकरण नहीं है, वहां पर निर्मित पार्को का रख–रखाव, सौन्दर्यीकरण एवं वृक्षारोपण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की होगी। चयनित क्षेत्र के सभी पार्को के सौन्दर्यीकरण होने पर ही क्षेत्र को संतृप्त माना जायेगा।

9. योजना के अन्तर्गत कार्ययोजना के निर्माण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की व्यवस्था –

कार्य योजना के निर्माण, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जो निम्नवत् होगी –

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
सभी नगरपालिकाओं/नगर	सदस्य
पंचायत के कार्यकारी अधिकारी	
सभी सम्बन्धित विभागों के	सदस्य
जनपद स्तरीय अधिकारी	
परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव/संयोजक
जिला नगरीय विकास अभिकरण	

नगर निगम के शहरों वाले जनपदों में

आयुक्त	अध्यक्ष
जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
सभी नगरपालिकाओं/नगर	सदस्य
पंचायतों के कार्यकारी अधिकारी	
सभी संबंधित विभागों के	सदस्य
जनपदीय अधिकारी	
परियोजना अधिकारी, डूडा	सदस्य
नगर आयुक्त	सदस्य सचिव

10. उक्त योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व शहरी समग्र विकास विभाग का होगा, जिसके लिए प्रदेश स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी जिसमें सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिवगण सदस्य तथा सचिव, शहरी समग्र विकास विभाग सदस्य/संयोजक होंगे।

11. योजना के अन्तर्गत चयनित शहरी क्षेत्रों के प्रथम चरण की कार्य योजना 15 नवम्बर, 2007 तक पूर्ण कर शहरी समग्र विकास विभाग को उपलब्ध कराते हुए प्रथम चरण का समस्त लक्षित कार्य 31 मार्च, 2008 तक पूर्ण कर लिया जाय। अनुवर्ती वर्षो हेतु चयनित शहरी क्षेत्रों की कार्य योजना वित्तीय वर्ष के अनुसार संतृप्तीकरण हेतु तैयार की जाएगी।

12. योजना का सफल क्रियान्वयन/अनुश्रवण राज्य स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमुख सचिव/सचिवगण को योजना के क्रियान्वयन की प्रगति के मूल्यांकन हेतु नियमित/आकस्मिक निरीक्षण के उद्देश्य से जनपद आवंटित किए जायेंगे एवं निरीक्षण रिपोर्ट प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त योजना के कार्यक्रमों का निरीक्षण जनपद/मण्डल/राज्य स्तरीय सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भी नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

13. प्रत्येक जनपद के चयनित शहरी क्षेत्रों में उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे और उनके द्वारा मुख्य विकास अधिकारी/सम्बन्धित विभागीय अधिकारी के माध्यम से चयनित शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. योजना के कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की नियमित समीक्षा बैठकें जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर पर एतद् विषयक प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या – 1153/43–2–2007, दिनांक 20 मई, 2007 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आयोजित की जायेगी।

15. शहरी समग्र विकास विभाग द्वारा योजनान्तर्गत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के अनुश्रवण हेतु निर्धारित प्रारूप अलग से तैयार कर उपलब्ध कराया जायगा जिसके अनुसार कस्टमाइज्ड साफ्टवेयर तैयार कर प्रत्येक मण्डल को उपलब्ध कराया जायेगा। मण्डलायुक्त अपने स्तर से समस्त जनपदों से

सूचना प्राप्त कर, उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक माह की दस तारीख तक, शहरी समग्र विकास विभाग को ई–मेल अथरवा सी.डी. के माध्यम से उपलबध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

प्रशान्त कुमार मिश्र
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 3636(1)/नौ–9–2007, तददिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि–मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मात्र मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, नगर विकास, आवास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, खाद्य, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास, अनुसूचित जाति एवं वित्त निगम तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त नगर आयुक्त एवं नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
10. विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्य मंत्री जी (श्री जमील अख्तर)
11. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)।
15. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डा. नवनीत सहगल
सचिव